प्रेस नोट

दिनांक 09.12.2025

थाना छपिया व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाना छपिया क्षेत्रान्तर्गत पवन ब्रिक्स फील्ड के मुनीम के ब्लाइंड मर्डर की घटना का सफल अनावरण, 03 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल व आलाकत्ल बाका बरामद-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालीवाल के नेतृत्व में थाना छपिया व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-434/2025 धारा 103(1) बीएनएस की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों- 01. सचिन पुत्र सावल प्रसाद, 02. बृजेश कुमार पुत्र रामनिहाल,03. महाजन गुप्ता पुत्र प्रहलाद गुप्ता निवासीगण सिसई रानीपुर, थाना छपिया, जनपद गोण्डा को ग्राम सिसईरानीपुर की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे व निशानदेही से घटना में प्रयुक्त स्पेलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल व आलाकत्ल बाका बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 04.12.2025 को काशीराम वर्मा पुत्र स्व. राम हरख वर्मा निवासी दहीरपुर, थाना गोसाईगंज, जनपद अयोध्या द्वारा थाना छपिया पुलिस को सूचना दी गई कि उसके ईंट के भट्ठे पवन ब्रिक फील्ड, ग्राम साबरपुर, थाना छपिया पर कार्यरत मुनीम राम सजीवन वर्मा पुत्र रामचन्दर वर्मा निवासी अमसिन दहलवा, थाना गोसाईगंज, जनपद अयोध्या, जो लगभग 14 वर्षों से सेवा में कार्यरत थे को दिनांक 03/04.12.2025 की रात्रि में सोते समय किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे गंभीर रूप से घायल राम सजीवन को भट्ठे पर मौजूद मजदूरों द्वारा तत्काल उपचार हेतु अयोध्या मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारियों द्वारा स्थानीय पुलिस बल के साथ घटलास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया। मृतक के शव के पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। फील्ड यूनिट/डॉग स्क्वायड टीम को घटना स्थल पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करायी गयी। काशीराम वर्मा की लिखित तहरीर के आधार पर छपिया में अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के नेतृत्व में एस0ओ0जी0/सर्विलांस सहित 05 पुलिस टीमों का गठन कर थाना प्रभारी छपिया को घटना का शीघ्र सफल अनावरण कर अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे। उक्त टीमों द्वारा घटना के सफल अनावरण हेतु वृहद स्तर पर मैनुअल व टेक्निकल साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई। इसी क्रम में आज दिनांक 09.12.2025 को थाना छपिया व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी अभियुक्तगण 01. सचिन पुत्र सावल प्रसाद, 02. बृजेश कुमार पुत्र रामनिहाल, 03. महाजन गुप्ता पुत्र प्रहलाद गुप्ता निवासीगण सिसई रानीपुर, थाना छपिया, जनपद गोण्डा को ग्राम सिसईरानीपुर की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्पेलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल व निशानदेही से ग्राम सबरापुर के पूरब सूखी नहर में फेंके गए आलाकत्ल बाका को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पुलिस पूछताछ में अभियुक्त सचिन पुत्र सावल प्रसाद निवासी ग्राम सिसईरानीपुर थाना छपिया जनपद जनपद गोण्डा द्वारा बताया गया कि वह पवन ब्रिक्स फील्ड सबरापुर में ट्रैक्टर चालक है तथा भट्ठे के मुनीम रामसजीवन वर्मा द्वारा बार-बार अपमानित किए जाने और नौकरी से निकालने की धमकी देने से अत्यधिक परेशान था । लगभग आठ-दस दिन पूर्व भट्ठा मालिक द्वारा जमीन बेचकर लगभग 11 लाख रुपये मुनीम को दिए गए थे जिन्हें उसने ऑफिस में रखा था। इस बात की जानकारी होने तथा पूर्व की जलालत के चलते उसने अपने साथी बृजेश एवं गांव के ही महाजन गुप्ता के साथ मिलकर रामसजीवन को रास्ते से हटाने तथा रुपये हथियाने की

योजना बनाई। घटना वाले दिन तीनों बभनान जाकर एक लोहे का बाका खरीदकर देर रात लगभग 11 बजे महाजन की मोटरसाइकिल से भट्ठे के पीछे वाले रास्ते से पहुंचे और झाड़ियों में मोटरसाइकिल छिपाकर ऑफिस के बरामदे तक पैदल गए। अभियुक्त ने बताया कि उसे पहले से मालूम था कि मुनीम किस तख्त पर सोता है; योजना के अनुसार उसने रामसजीवन के दोनों हाथ दबा लिए, बृजेश ने पैर पकड़े और महाजन गुप्ता ने ताबड़तोड़ बाका से सिर, चेहरे व गर्दन पर वार किए, जिससे मुनीम तख्त से गिर गया। मुनीम द्वारा शोर मचाने का प्रयास किया तो हम तीनों घबरा गए और बिना कोई रुपये या सामान लिए हड़बड़ी में पीछे की बाउंड्री फाँदकर भाग निकले तथा आगे जाकर नहर पटरी की सूखी झाड़ियों में बाका को छिपा दिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. सचिन पुत्र सावल प्रसाद नि0 सिसई रानीपुर, थाना छपिया, जनपद गोण्डा।
02. बृजेश कुमार पुत्र रामनिहाल नि0 सिसई रानीपुर, थाना छपिया, जनपद गोण्डा।
03. महाजन गुप्ता पुत्र प्रहलाद गुप्ता नि0 सिसई रानीपुर, थाना छपिया, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-434/2025 धारा 103(1), 3(5) बीएनएस थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. आलाकत्ल बाका।
02. घटना में प्रयुक्त 01 अदद स्पेलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल।

नोट- पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना का सफल अनावरण करने वाली गिरफ्तारकर्ता टीम को रु0 10,000/- के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम

01. श्री प्रबोध कुमार थानाध्यक्ष थाना छपिया
02. उ0नि0 श्री गौरव सिंह प्रभारी एसओजी/सर्विलांस
03. उ0नि0 श्री सुरेश यादव चौकी प्रभारी मसकनवा
04. उ0नि0 श्री घनश्याम वर्मा चौकी प्रभारी बभनान
05. हे0का0 महेन्द्र प्रसाद
06. हे0का0 अरूण यादव एसओजी
07. हे0का0 रणधीर सिंह एसओजी
08. हे0का0 राकेश सिंह एसओजी
09. हे0का0 अमित पाठक
10. हे0का0 बिरजू एसओजी
11. हे0का0 श्यामनारायन यादव एसओजी
12. हे0का0 रविप्रताप यादव सर्विलांस
13. हे0का0 हृदयनारायन दीक्षित सर्विलांस
14. का0 अनुराग पटेल एसओजी
15. का0 अंशुमान पाण्डेय सर्विलांस
16. कां0 गौतम प्रसाद
17. कां0 अरुण कुमार वर्मा
18. कां0 सुजीत यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 09.12.2025
जनपद गोण्डा।

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा ब्लाइण्ड मर्डर की घटना में संलिप्त वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना तरबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–373/25 धारा 103(1),238 बीएनएस से संबंधित ब्लाइण्ड मर्डर की घटना में सलिप्त वांछित अभियुक्त अखिलेश उर्फ मुस्कान पुत्र अरूण कुमार नि0 सेमरा मुस्तहकम थाना दुबौलिया जनपद बस्ती को धौरहराघाट से गौहानी जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 17.11.2025 को थाना तरबगंज पुलिस को ग्राम प्रधान बनगाँव श्री मंजीत सिंह द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम सिक्रेटरीपुरवा व कंचनपुर के बीच पीडी बन्धा सड़क के किनारे बाई तरफ एक अज्ञात महिला का शव पड़ा है। इस सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारियों द्वारा स्थानीय पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया था। फील्ड यूनिट/डॉग स्क्वाड टीम को घटना स्थल पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करायी गयी। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए इस ब्लाइण्ड मर्डर की घटना के शीघ्र व सफल अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के नेतृत्व में एसओजी/सर्विलांस सहित 03 पुलिस टीमों का गठन कर थाना प्रभारी तरबगंज को घटना का सफल अनावरण कर अभियुक्त की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये थे। जिसमें पुलिस टीमों द्वारा दिनांक 30.11.2025 को घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी भाई मनीष पुत्र स्व0 चन्द्रप्रकाश एवं माँ निर्मला देवी पत्नी स्व0 चन्द्र प्रकाश को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आज दिनांक 09.12.2025 को थाना तरबगंज पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त एक अन्य आरोपी अभियुक्त अखिलेश उर्फ मुस्कान पुत्र अरूण कुमार को धौरहराघाट से गौहानी जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अभियुक्त का नाम पता–

01. अखिलेश उर्फ मुस्कान पुत्र अरूण कुमार नि0 सेमरा मुस्तहकम थाना दुबौलिया जनपद बस्ती।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–373/25 धारा 103(1),238 बीएनएस थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्र0नि0 कमलाकान्त त्रिपाठी।
02. उ0नि0 जितेन्द्र पाण्डेय।
03. हे0का0 अजय सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।